वादी/प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

…49913

?/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप0। वास्ते पेश करने ट्रैक रिपोर्ट हेतु व तामील हेतु दि0 19/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

19/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप0। वकील अपील ने ट्रैक रिपोर्ट पेश की आदेश। पत्रावली वास्ते और तामील हेतु दिनांक 21/2/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

21/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप0 वकील अपीलान्ट रेस्पोंडेन्ट अनुपस्थित [illegible] की पालना विरुद्ध निर्णय प्रकरण में निर्णय सुनाया गया। पत्रावली में हुए निर्णय [illegible] की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। तत्काल दाखिल दफ्तर।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reject

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

अपील संख्या 15/2024

1. श्रीमती राज देवी पत्नी स्व0 यशोदा नारायण छीपा
2. मोहन कुमार पुत्र स्व0 यशोदा नारायण छीपा
3. पुरूषोत्तम छीपा पुत्र स्व0 यशोदा नारायण छीपा
4. मीरा पुत्री स्व0 यशोदा नारायण छीपा
5. रेखा पुत्री स्व0 यशोदा नारायण छीपा
6. सीमा जाजोरीया पुत्री स्व0 यशोदा नारायण छीपा

समस्त जाति छीपा निवासी प्लाट न0 02 जैम विहार कॉलानी खादी ग्रामोद्योग…
सांगानेर जिला जयपुर

बनाम

1. ग्राम पंचायत मुहाना जरिये सरपंच ग्राम पचांयत मुहाना तह…
जयपुर
2. रामजीवण पुत्र स्व0 सुवालाल जाति बागडा ब्राहमण नि…
सांगानेर जिला जयपुर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान…</u>
<u>विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत मु…</u>
<u>तहसील सांगानेर जिला जय…</u>
<u>21/08/2006</u>

श्रीमानजी,

संक्षिप्त तथ्य इस…
खातेदार के फौत होने…

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 15/2024
निर्णय दिनांक : 21.02.2025

उनवान

1. श्रीमति राज देवी पत्नी स्व0 यशोदा नारायण छीपा
2. मोहन कुमार पुत्र स्व0 यशोदा नारायण छीपा
3. पुरूषोतम छीपा पुत्र स्व0 यशोदा नारायण छीपा
4. मीरा पुत्री स्व0 यशोदा नारायण छीपा
5. रेखा पुत्री स्व0 यशोदा नारायण छीपा
6. सीमा जाजोरिया पुत्री स्व0 यशोदा नारायण छीपा
   समस्त जाति छीपा, निवासी प्लॉट नम्बर 02, जैम विहार कॉलोनी, खादी ग्रामोद्योग रोड, सांगानेर, जिला जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत मुहाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रामजीवण पुत्र स्व0 श्री सुवालाल, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत मुहाना, पंचायत समिति सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर नामान्तरकरण संख्या 769 दिनांक 21.08.2006

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट की श्रीमान जी खातेदार के फौत पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है हस्ताक्षर पटवारी। मुताबिक रिकार्ड व मृत्यु प्रमाण पत्र तथा मौका रिपोर्ट सजरा पटवारी के तथा हकत्याग के अंकन तुलनात्मक है। कालम संख्या 7 के बजाय 9 में दर्ज ना सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाता है। हस्ताक्षर बाबू सरपंच ग्राम पंचायत मुहाना। जिससे व्यथित होकर प्रथम अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:– अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण काबिले खारिज है। अपीलार्थीगण के पिता यशोदानन्दन ने ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10. 1992 को आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 2028 रकबा 0.47 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 व में हिस्सा सुवालाल का 1/4 के क्रय किया था। परन्तु सहवन से अपीलार्थीगण के पिता के नाम से उक्त भूमि का नामान्तरकरण तहसील कार्यालय में नही खोला गया। जबकि अपीलार्थीगण के पिता ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने के लिए विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्र की फोटोप्रति पटवारी हल्का को दे दी थी। इस कारण अपीलार्थीगण विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने का कानूनी अधिकारी है। इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून के सुस्थापित नियमों के विपरित होने कारण काबिले खारिज है। अपीलार्थीगण के पिता का उक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात लगातार काबिज रहे है तथा उनके देहान्त के पश्चात अपीलार्थीगण वर्तमान में भी काबिज काश्त रहे है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 2028 रकबा 0.47 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की मौके की रिपोर्ट भी पटवारी हल्का से मंगवाना उचित नही समझा केवल कयास के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज है। अपीलार्थीगण के पिता के पक्ष में विक्रेता द्वारा किये गये विक्रय पत्र को आज दिनांक तक किसी भी न्यायायल के द्वारा निरस्त नही किया गया है और न ही विक्रेता व उसके वारिसान के द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही की चाराजोही की है। इस कारण धारा 54 सम्पति अन्तरण अधिनियम के अनुसार अपीलार्थीगण के पिता के नाम से किये गये विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम से नामान्तरकरण खुलवाने के अधिकारी है। उक्त नामान्तरकरण से रेस्पोडेन्ट संख्या दो को किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही होते है, इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज है। अपीलार्थीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। इस कारण अपीलार्थीगण को उक्त आराजीयात नही होने के कारण अपीलार्थीगण ने उक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल तहसील कार्यालय से 22.11.2024 को प्राप्त की तो पता चला कि उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण के पिता के नाम से नही खोला गया। इस कारण अपीलार्थीगण को यह अपील श्रीमान न्यायालय में पेश करना लाजमी हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को तब हुई जब अपीलार्थीगण के पिता के देहान्त के पश्चात क्रयशुदा व कब्जेशुदा भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने के लिए जमाबन्दी की नकल दिनांक 22.11.2024 को प्राप्त की। इस प्रकार जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी विवाद निवारण हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम की प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.08.2006 बावत् नामान्तरकरण संख्या 769 ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खाता संख्या 404 के खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 2028 रकबा 0.47 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.56 है0 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा 1/4 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के नाम से नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये रजिस्टर नोटिस तलब किया गया। दिनांक 31.01.2025 को अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्टस् को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की डाक रसीदें पेश की। दिनांक 21.02.2025 को रेस्पोडेन्टस की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नही होने से

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलार्थीगण ने नामान्तरकरण 769 दिनांक 21.08.2006 के विरूद्ध अपील पेश की गई उसकी प्रतिलिपि पत्रावली पर होने से अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलव किया जाना उचित नही समझते हुए प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस अपीलार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवदेन किया कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 21.08.2006 को अपास्त किया जाकर विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण के नाम से नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश फरमाया जावें।

हमने बहस अपीलार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। इस सम्वन्ध में अपीलार्थीगण का यह तर्क रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को तब हुई जब अपीलार्थीगण के पिता के देहान्त के पश्चात क्रयशुदा व कब्जेशुदा भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने के लिए जमाबन्दी की नकल दिनांक 22.11.2024 को प्राप्त की। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अपीलार्थीगण के तर्को से साबित है कि अपीलार्थीगण ने दस्तावेजात में यशोदानारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 26.10.2023 को होना अंकित है, अपीलार्थीगण का तर्क रहा कि उससे पूर्व कोई जानकारी उक्त भूमि के सम्बन्ध में नही रही, जानकारी तब रही कि जब अपीलार्थीगण के पिता की मृत्यु हुई और जमाबन्दी की नकल प्राप्त की, ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि अपीलार्थीगण को जानकारी नही होने का सन्तोषप्रद कारण होना प्रतीत होता है, इसलिए अपीलार्थीगण का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थीगण का गुणावगुण पर तर्क रहा है कि उक्त भूमि में से सुवालाल का हिस्सा अपीलार्थीगण के पिता ने क्रय किया था, परन्तु अपीलार्थीगण के पिता नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हो सका, इसलिए अपील स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.08.2006 को निरस्त किया जावें। इस सम्बन्ध में अपीलार्थीगण अपीलार्थीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 12.10.1992 की प्रतिलिपि पेश की है जिसमें सुवा पुत्र श्योनारायण, जाति बागडा ब्राह्मण से अपीलार्थीगण के पिता के यशोदानन्दन द्वारा क्रय किया जाना और मौके पर कब्जा संभलाया जाना साबित है। राजस्व रिकॉर्ड में सुवा पुत्र श्योनारायण के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने पिता की विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करवा लिया है, जबकि उक्त भूमि के मूल खातेदार द्वारा भूमि को यशोदानन्दन पुत्र बाछुराम के पक्ष में विक्रय किया जा चुका है तो उक्त भूमि के सम्बन्ध में मूल खातेदार के वारिसान के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि किया जाना प्रतीत होता है। अपीलार्थीगण द्वारा यशोदानन्दन के विधिक वारिस

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

होने के सम्बन्ध में पार्षद का सजरा खानदान प्रस्तुत किया है जिससे साबित है कि यशोदानन्दन के वारिसान अपीलार्थीगण है। मूल खातेदार सुवा पुत्र श्योनारायण जाति वागडा ब्राह्मण द्वारा अपना हिस्सा यशोदानन्दन को पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तान्तरण किया जाना साबित है, इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में त्रुटिपूर्ण तस्दीक किया जाना प्रतीत होने से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 769 दिनांक 21.08.2006 ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सांगानेर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.10.1992 जो यशोदानारायण पुत्र बाछूराम के पक्ष में किया गया है जिसके सम्बन्ध में यशोदानन्दन (मृतक) के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर